-1-

122

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००४- निगरानी

सुरेश सिंह पुत्र लाल सिंह,
निवासी रघुनाथपुर, तेहसील विजयपुर,
जिला श्योपुर ------- आवेदक

बनाम

(१) देवेन्द्र सिंह | पुत्रगण लाल सिंह
(२) घनश्याम |
(३) गाानदेवी विधवा भूपेन्द्र सिंह
(४) कु० विनीता पुत्री भूपेन्द्र सिंह
(५) कृजभूषण | पुत्रगण भूपेन्द्र सिंह
(६) रघुराज सिंह |
(७) कमलेश सिंह
समस्त निवासीगण रघुनाथपुर, तेहसील विजयपुर,
जिला-श्योपुर ।
(८) मध्यप्रदेश शासन

------ अनावेदकगण

निगरानी विरुध्द आदेश बन्दोबस्त आयुक्त म०प्र० ग्वालियर तारीखी ३०-६-२००४ प्र० क्र० ३५/अपील/९९-२००० वउन्वान देवेन्द्र सिंह आदि विरुध्द सुरेश सिंह आदि, अन्तर्गत धारा ५० भू-राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

निगरानी आवेदक निम्न प्रकारण प्रस्तुत है :-

१- यह कि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एंव विधान के विपरीत तथा फाईन्डिंग्स परवर्स होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

२- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के फेक्टस् को सही प्रकार से नहीं समझा इस कारण आदेश देने में त्रुटि हुई है व आवेदक न्याय पाने से वंचित रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा ५०

9.9.16

उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 35/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–9–2004 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार बीरपुर ने प्रकरण कमांक 2/1993–94 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 29–1–1994 से वसीयत के आधार पर ग्राम रघुनाथपुर की कुल

R-1449-बी/04 (श्योपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किता 6 कुल रकबा 12 वीघा 8 विसवा भूमि पर सुरेश सिंह पुत्र लालसिंह का नामान्तरण किया है जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 29-1-94 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यवर्तित किया गया। बंदोबस्त के चलने से नायव तहसीलदार ने प्रकरण सहायक बंदोवस्त अधिकारी विजयपुर को अंतरित कर दिया। सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण कमांक 12/अ-6/94-95 में पारित आदेश दिनांक 13-1-99 से नामान्तरण आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्व बंदोवस्त अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 4/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 24-2-2000 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष अपील होने प्रकरण कमांक 35/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-2004 से अपील स्वीकार की गई एंव बंदोवस्त अधिकारी श्योपुर का आदेश दिनांक 24-2-2000 तथा सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 13-1-99 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी की गई है।	

XIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1449–दो/2004 निगरानी जिला श्योपुर

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3/ बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 35/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–9–2004 एंव बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 24–2–2000 तथा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 13–1–99 की समीक्षा करने पर स्थिति यह है कि बंदोवस्त आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–9–2004 में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण में आये तथ्यों पर बारीकी से अध्ययन कर पृष्ठ 5 एंव 6 पर विस्तृत विवेचना करते हुये वाद विचारित भूमि पैत्रिक है अथवा नहीं, पर तथा बसीयत के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाले हैं जिनसे असमहमत होने का कोई कारण नहीं है । आवेदकगण के अभिमाषक बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 30–9–2004 में कौनसी कमवेशी है समाधान नहीं करा सके। ऐसी स्थिति में बंदोवस्त आयुक्त व्दारा निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं पाये गये हैं। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 35/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–9–2004 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है। सदस्य	